उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय, कलमबाग चौक
मुजफ्फरपुर, बिहार, 842 001

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE, KALAMBAGH CHOWK
MUZAFFARPUR, BIHAR, 842 001

(Sponsored By :: Central Bank of India)
☎ 2248141(D), 2267918 Fax::(0621)2243088
Website :: www:: ubgb.in E-mail:: tbc@ubgb.in

पत्रांकः: **HO/TBC/11/2018-19/1359** दिनांकः: **28/03/2019**

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के आलोक में बैंक में लागू पेंशन योजना में आवेदन प्रेषित करनेवाले सभी संबन्धित कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी एवं मृत अधिकारी/कर्मचारी के आश्रित गण

संदर्भ:- हमारा पत्रांक HO/TBC/11/2018-19/1334 दिनांक 19.03.2019

विषय :- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक हमारे संदर्भित पत्र से संबन्धित कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुई है। अतः इससे संबन्धित जानकारी सभी संबंधितों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

1. प्रश्न :- नियोक्ता का योगदान (सदस्य के भविष्य निधि में) वापस कब तक जमा करना है तथा संबन्धित Format 14/15 कब तक बैंक को उपलब्ध करवाना है?
उत्तर :- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प का प्रयोग किया जाना है। जिसकी अवधि दिनांक 02 अप्रैल 2019 को समाप्त हो रही है। एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर सदस्य को प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उसके द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज) बैंक को वापस करना है। इस संबंध में बैंक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2018 में भी सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प प्रेषित करने की अंतिम तारीख 02 अप्रैल 2019 एवं भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि वापस करने की अंतिम तिथि 01 जून 2019 की सूचना दी जा चुकी है। अतः 01 जून 2019 से पूर्व इसे जमा करवा कर Format 14/15 बैंक को उपलब्ध करवाएँ।

2. नियोक्ता का योगदान (सदस्य के भविष्य निधि में) के रूप में कितनी राशि जमा करनी है?
उत्तर :- सदस्य के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता की राशि की जानकारी भविष्य निधि कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, मोबाइल/इंटरनेट के माध्यम से UAN द्वारा Login कर प्राप्त की जा सकती है। जिस साक्ष्य के आधार पर राशि जमा किया जा रहा है उसकी स्वहस्ताक्षरित प्रति भी Format 14/15 के साथ बैंक को उपलब्ध करवाएँ।

3. प्रश्न:- Format 14 के क्रम संख्या 22 और Format 15 के क्रम संख्या 25 मे Caste का वर्णन क्यों है?

उत्तर :- यहाँ भुलवश Category की जगह Caste टाइप हो गया है। अतः Format 14/15 के क्रम संख्या 22 और 25 मे वर्णित Caste को Category पढ़ा जाए और General / OBC / SC / ST पर √ मार्क लगाए।

4. प्रश्न :- भविष्य निधि की राशि को किस प्रकार से वापस किया जा सकता है।

उत्तर :- यदि किसी सदस्य के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के खाते मे उतनी राशि हो तो चेक के माध्यम से भविष्य निधि की राशि को वापस करें। यदि किसी अन्य बैंक मे राशि है तो नेफ्ट(Neft) अथवा Demand Draft के माध्यम से भविष्य निधि की राशि को वापस करेंगे। Cheque / DD or NEFT के पावती की सूचना Format 14 /15 के साथ देंगे।

Account Details for Refund		
Name of Account	**Account No.**	**IFS Code**
Uttar Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Fund	1000011130000476	CBIN0R10001

5. प्रश्न :- क्या Commutation/संबन्धित Medical formats साथ में ही देना अनिवार्य है?

उत्तर :- यह Format 14/15 के साथ ही देना अनिवार्य नहीं है। पेंशनर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इस हेतु लिखित आवेदन दे सकते हैं। वर्तमान में अगर पेंशनर Commutation नहीं लेना चाहते हो तो Format 14/15 में संबन्धित कॉलम में कुछ न भरे।

6. प्रश्न :- क्या भविष्य निधि की पेंशन फ़ंड की राशि भी बैंक को वापस करनी है ?

उत्तर :- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के अनुसार विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निधि के लिए विकल्प चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन पेंशन घटक की राशि प्राप्त करता रहेगा और इन विनियमों के अंतर्गत देय पेंशन की शेष् राशि बैंक पेंशन निधि में से दी जाएगी। अतः अधिसूचित तारीख (03/12/2018) के पूर्व सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी एवं संबन्धित दिवंगत अधिकारी/कर्मचारी के आश्रितों को भविष्य निधि की पेंशन फ़ंड की राशि जमा नहीं करनी है।

सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार)
महाप्रबंधक